तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 47/2021 बउनवान खेताराम बनाम मांगीलाल वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 12.03.2026

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान सिंह राठौड़।
2. रेस्पों. संख्या 01की तरफ से अधिवक्ता श्री नृसिंह सौलंकी।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित वकील उभयपक्ष की पत्रावली पर अंतिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण/अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि मौजा सेडवा पटवार क्षेत्र सेड़वा के खसरा संख्या 676/361 रकबा 01.03 बीघ व खसरा संख्या 677/361 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 02 बीघा की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी अपने हक व हिस्से अनुसार आज भी कब्जा–काश्त अपीलांट/प्रार्थी का है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध मे प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्रार्थी की बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2020 को अप्रार्थी/रेस्पों. को पाबंद करते हुए मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया था। हस्तगत पत्रावली में प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 890/361 रकबा 15 बिस्वा हो अपीलाधीन प्रार्थना–पत्र में टंकणिय त्रुटि वश अंकित होने से छुट जाने के कारण प्रार्थी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर संशोधित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्तानुसार संशोधित आदेश प्रदान करने का निवेदन किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार संशोधित करते हुए हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 890/361 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 676/361 रकबा 01.03 बीघा व खसरा संख्या 677/361 रकबा 17 बिस्वा के संबंध में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। उक्त के बाद पत्रावली को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पों./अप्रार्थी की तलबी हेतु नियत की गई थी। जिसके बाद रेस्पों. संख्या 1 का जबाव लेकर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा दिनांक 08.04.2021 को अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में जारी उक्त मौके व रिकार्ड के स्थगन आदेश को बिना कोई विधिक व्याख्या के ही खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से हस्तगत अपील श्रीमानजी के समक्ष प्रसतुत की गई है। हस्तगत प्रकरण की वागद्रस्त आराजी अपीलांट स्वयं की खातेदारी भूमि है। मौके पर प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा–काश्त एवं रहवासी ढाणी बनी हुई है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के साथ छल कपटपुर्वक विश्वास में लेकर हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 676/361 रकबा 01.03 बीगाा भूमि में से रकबा 15 बिस्वा अपने नाम दान करवा ली जिसका नया खसरा संख्या 890/361 रकबा 15 बिस्वा सृजित हुआ है। रेस्पों. सख्या 1 उक्त गलत दान पत्र के आधार पर अपीलांट के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करते आ रहे हैं। जिस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का प्रार्थीगण को हक अधिकार है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का हक–हिस्सा निहित होने से उक्त आराजी को बेचान होने से रोकने हेतु स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं। रेस्पों. प्रभावशाली पक्षकार है जो वादग्रस्त आराजी में से अपीलांट को बेदखल करते हुए भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहते है, जिससे अपीलांट के हित प्रभावित होते है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में होने के कारण से अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद उभयपक्ष की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। हस्तगत वादग्रस्त आराजी का खसरा संख्या 676/361 रकबा 01.03 बीगाा भूमि में से रकबा 15 बिस्वा भूमि अपीलांट द्वारा अपने भाई रेस्पों0 संख्या 1 के नाम दान की थी। जो बाद में रेस्पों. संख्या 1 द्वारा आवासिय में परिवर्तन करवा ली गई जिसका नया खसरा संख्या 890/361 रकबा 15 बिस्वा सृजित हुआ है। उक्त मूल खसरे की भूमि में अपीलांट एवं रेस्पों. संख्या 1 अपने–अपने हक–हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जिसमें प्रार्थी का कोई पशुबाड़े इत्यादि नहीं बने हुए है। दोनों पक्षकारों का अलग–अलग खसरा नम्बर है एवं उसी अनुरूप ही काबिज–काश्त है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने स्वयं द्वारा रेस्पों. संख्या 1 के पक्ष में किये गये दान–पत्र के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय में रथगन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का खसरा संख्या 890/361 रकबा 15 बिस्वा जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पों. संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। जो कृषि भूमि नहीं होकर आवासिय भूमि है। जिस संबंध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। हस्तगत आराजी पर अपीलांट का कभी भी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पों. हस्तगत प्रकरण का संयुक्त रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश बिना किसी कारण के जारी नहीं किया जा सकता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली व वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रश्नगत दान–पत्र कितने हिस्सों तक किये गये हैं जो साक्ष्य व सबूत के आधार पर मूल वाद में ही तय हो सकता है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का खसरा संख्या 890/361 रकबा 15 बिस्वा जो रेस्पों. संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। जो कृषि भूमि नहीं होकर आवासिय भूमि है। उक्त आराजी के संबंध में हाजा न्यायालय की राय में रेकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद उभयपक्ष की सुनवाई बाद अपीलधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई),
प्रथम लिंक अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर